"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016— चैत्र 12, शक 1938

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक 2394/236/2016/18. — 14वां केन्द्रीय वित्त आयोग : कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण की योजना अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए परिपत्र सं. 13(32) एफएफसी/एफसीडी/2015-16 दिनांक 5-11-2015 के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के पैरा-19 (II) में उल्लेखित शर्त के पालन में राज्य शासन एतद्द्वारा नगरपालिकाओं को कार्यनिष्पादन अनुदानों के संवितरण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की प्रमात्रा सहित विस्तृत प्रक्रिया और प्रचालन मानदंड निर्धारित करती है :-

कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण की योजना

1. प्रत्येक निकाय को अपने निकाय का लेखा परीक्षित (ऑडिटेड) वार्षिक लेखा जो कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त किये जाने वाले वर्ष के दो वर्ष पूर्व के होंगे, अर्थात् नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को वर्ष 2016-17 में कार्यनिष्पादन अनुदान प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने के लिए अपेक्षित संपरीक्षित लेखे वर्ष 2014-15 का प्रस्तुत करना होगा।

2. प्रत्येक वर्ष में, अपने निकाय में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में राजस्व में बढ़ोत्तरी करना एवं यह बढ़ोत्तरी लेखा परीक्षित लेखा के माध्यम से स्थापित किया जावेगा। राजस्व वृद्धि की गणना करते समय चुंगी एवं प्रवेश कर को प्राप्तियों से अलग रखा जावेगा। इसके अंतर्गत -

   a. प्रत्येक निकाय द्वारा संपत्ति कर की पंजी निर्धारित प्रारूप में तैयार की जावेगी। इस पंजी में नगरीय क्षेत्र के समस्त संपत्तियों का पंजीबद्ध होना अनिवार्य होगा। यह पंजी वार्डवार तैयार की जावेगी।

b. संपत्ति कर पंजी के आधार पर तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए निकाय द्वारा संपत्ति कर के संबंध में पारित संकल्प के अनुसार "प्राप्ति-योग्य संपत्ति कर" की गणना की जावेगी । वर्ष के अंत में "प्राप्त संपत्ति कर" को "प्राप्ति-योग्य संपत्तिकर" का प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जावेगा ।

c. आय में वृद्धि का आकलन उपरोक्तानुसार गणना की गई संपत्ति कर (प्रतिशत में) का पूर्व वर्ष में ऐसे ही प्रतिशत से तुलना के आधार पर की जावेगी ।

d. उपरोक्तानुसार ही समेकित कर, जल कर, बाजार कर, निर्यात कर, दुकानों का किराया, होर्डिंग पॉलिसी, भवन अनुज्ञा/कालोनाइजर शुल्क, तालाब नीलामी से आय, मनोरंजन कर आदि नियमित आय का उक्त तीनों बिन्दु अनुसार आय में वृद्धि का आकलन किया जायेगा ।

e. इन लेखा परीक्षित लेखा के आधार पर ही राजस्व में सुधार का निर्धारण किया जायेगा और इसके लिये कोई अन्य आधार नहीं होगा ।

3. अपने निकाय से संबंधित मूलभूत सेवाओं के लिये सेवा स्तरीय बेंचमार्कों का निर्धारण प्रतिवर्ष करना एवं उनको प्रकाशित कराना होगा । कार्यनिष्पादन अनुदान के संवितरण हेतु सर्विस लेवल बेंच मार्क्स का आकलन MoUD द्वारा जारी हैण्ड बुक के आधार पर प्रकाशन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । अत: समस्त निकायों के एस. एल. बी. को अधिसूचित करने की तिथि प्रतिवर्ष की 31 मई नियत की जाती है ।

4. प्रत्येक निकाय द्वारा उपरोक्त तीनों मानदण्डों पर अपेक्षित कार्यवाही प्रतिवर्ष हासिल किये जाने के पश्चात् वर्ष 2016-17 एवं क्रमश: आगे के वर्षों के कार्य निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु पात्र होंगे । प्रत्येक निकाय को अपनी पात्रता का दावा अनुसूची-1 में दिये गये पत्रक में प्रतिवर्ष 30 जून तक संचालनालय में प्रस्तुत कराना होगा । कार्यनिष्पादन अनुदान के संवितरण हेतु निर्धारित तीनों मानदण्डों के पालन पश्चात् प्राप्त दावा पत्रकों का परीक्षण किया जाकर पात्र एवं अपात्र निकायों की सूची प्रतिवर्ष दिनांक 30 सितम्बर तक जारी की जावेगी । दावा पत्रकों के साथ प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

(i) वर्ष 2013-14 की आडिटेड बैलेंस शीट ।

(ii) वर्ष 2014-15 की आडिटेड बैलेंस शीट ।

(iii) सर्विस लेबल बैंच मार्क्स संबंधी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की छायाप्रति ।

5. निकायों द्वारा कार्यनिष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु गतिविधि कैलेंडर निर्धारित किया गया है, जो अनुसूची-2 के अनुसार होगा ।

6. कार्यनिष्पादन अनुदान उपरोक्त कार्यविधि के तीनों मानदण्डों को पूर्ण करने वाली पात्र निकायों को ही अनुसूची-3 के अनुसार वितरित होगा । अपात्र निकायों के शेष बचे हुये कार्यनिष्पादन अनुदान की राशि का वितरण, पात्र निकायों को जिस अनुपात में कार्य निष्पादन अनुदान की राशि प्रदान की जा रही है उसी समानुपात में ही अतिरिक्त कार्यनिष्पादन अनुदान के रूप में संवितरण किया जावेगा ।

अनुसूची–1

[टीप– यह अनुसूची कार्यनिष्पादन अनुदान प्राप्ति प्रथम वर्ष 2016–17 के अनुसार बनी है। इसके पश्चात् वाले वर्षों के लिए यथोचित परिवर्तन माना जावे]

पात्रता का दावा पत्रक

14वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्यनिष्पादन अनुदान प्राप्ति की
पात्रता का दावा पत्रक
वित्त वर्ष 2016–17 के लिये

1. निकाय का नाम : ....
2. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी का नाम : ....
3. निकाय का विवरण :–
   (a) फोन नम्बर : ....
   (b) फैक्स नम्बर : ....
   (c) आयुक्त / मु.न.पा.अ. का मोबाईल नम्बर : ....
   (d) ई–मेल एड्रेस : ....

4. वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में विभिन्न मदों से प्राप्त आय –
(ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार)

(राशि लाख रू. में)

क्र.	श्रोत	वर्ष 2013–14 में आय		वर्ष 2014–15 में आय	
		प्राप्ति का बजट अनुमान	वास्तविक वसूली / प्राप्ति	प्राप्ति का बजट अनुमान	वास्तविक वसूली / प्राप्ति
01	संपत्ति कर				
02	समेकित कर				
03	जल कर				
04	बाजार कर				
05	निर्यात कर				
06	दुकानों का किराया				
07	होर्डिंग पॉलिसी, भवन अनुज्ञा / कालोनाइजर शुल्क				
08	तालाब नीलामी से				
09	मनोरंजन कर				
10	अन्य (जो निकाय में लागू हो स्पष्ट रूप से लिखें)				
	योग–01 :–				

टीप :– उपरोक्त आंकड़े संपरीक्षित लेखे के प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुसार होना अनिवार्य होगा।

– **इस पत्रक के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं–**

(1) वर्ष 2013–14 का ऑडिटेड बैलेंस शीट।
(2) वर्ष 2014–15 का ऑडिटेड बैलेंस शीट।
(3) सर्विस लेबल बैंच मार्क्स संबंधी राजपत्र में प्रकाशन की छायाप्रति।

आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी

अनुसूची–2

कार्यनिष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु गतिविधि कैलेंडर

14वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता अर्जित करने हेतु कार्यवाही का कैलेण्डर

क्र.	कार्य बिन्दु	वर्ष 2016–17 एवं आगामी वर्षों के कार्य निष्पादन अनुदान हेतु कार्यवाही की अंतिम तिथि
01	*SLB की अधिसूचना का प्रकाशन	31 मई तक
02	*LFA/CA द्वारा लेखा परीक्षण	15 जून तक
03	परीक्षित लेखा के आधार पर निकाय द्वारा संचालनालय को दावा पत्रक प्रेषण	30 जून तक
04	कार्य निष्पादन अनुदान हेतु पात्र निकायों की सूची का प्रकाशन	30 सितम्बर तक
05	कार्य निष्पादन अनुदान की राशि का वितरण	अक्टूबर– भारत सरकार से राशि जारी होने के 15 दिनों के भीतर
06	कार्य निष्पादन अनुदान शेष राशि (यदि कोई हो) पात्र निकायों के मध्य वितरण	

*SLB :- Service Level Benchmarks
*LFA/CA :- Local Fund Audit/ Chartered Accountant

अनुसूची–3

14वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्यनिष्पादन अनुदान की मात्रा

(राशि लाख रू. में)

क्र.	निकाय	कार्यनिष्पादन अनुदान (वर्षवार)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7
I.	**नगर पालिक निगम**					
1	रायपुर	0.00	1052	1190	1352	1771
2	बीरगांव	0.00	91	102	116	152
3	धमतरी	0.00	95	108	122	160
4	दुर्ग	0.00	279	315	358	469
5	भिलाई	0.00	642	726	825	1080
6	भिलाईचरोदा	0.00	112	126	144	188
7	राजनांदगांव	0.00	190	215	244	319
8	जगदलपुर	0.00	144	163	185	242
9	बिलासपुर	0.00	321	364	413	541
10	कोरबा	0.00	496	561	637	835
11	रायगढ़	0.00	164	186	211	276
12	अंबिकापुर	0.00	117	133	151	198
13	चिरमिरी	0.00	115	131	148	194
योग		**0.00**	**3818**	**4320**	**4906**	**6425**

(राशि लाख रू. में)

क्र.	निकाय	कार्यनिष्पादन अनुदान (वर्षवार)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7
II.	नगर पालिका परिषद्					
1	तिल्दानेवरा	0.00	35	40	45	59
2	गोबरानवापारा	0.00	33	37	42	55
3	आरंग	0.00	19	21	24	31
4	बलौदाबाजार	0.00	27	31	35	45
5	भाटापारा	0.00	55	63	71	93
6	गरियाबंद	0.00	10	11	13	17
7	सरायपाली	0.00	22	25	29	38
8	महासमुंद	0.00	56	64	72	95
9	बागबहरा	0.00	20	23	26	34
10	जामुल	0.00	29	33	38	49
11	कुम्हारी	0.00	40	45	52	68
12	अहिवारा	0.00	26	30	34	44
13	बेमेतरा	0.00	29	33	37	49
14	बालोद	0.00	24	27	31	41
15	दल्लीराजहरा	0.00	48	54	61	81
16	डोंगरगढ़	0.00	39	44	50	66
17	खैरागढ़	0.00	24	27	31	41
18	कवर्धा	0.00	54	61	70	91
19	कोण्डागांव	0.00	30	34	38	50
20	नारायणपुर	0.00	23	26	29	38
21	कांकेर	0.00	31	35	39	52
22	किरन्दुल	0.00	20	23	26	34
23	बड़ी बचेली	0.00	27	31	35	46
24	दन्तेवाड़ा	0.00	16	18	20	26
25	सुकमा	0.00	14	15	18	23
26	बीजापुर	0.00	21	24	27	35
27	रतनपुर	0.00	30	34	38	50
28	तिफरा	0.00	28	31	36	46
29	तखतपुर	0.00	20	23	26	34
30	मुंगेली	0.00	32	35	40	53
31	दीपिका	0.00	26	30	34	44
32	कटघोरा	0.00	24	27	31	40
33	जांजगीरनैला	0.00	39	44	50	66
34	चांपा	0.00	43	49	56	73
35	सक्ती	0.00	19	22	25	32
36	अकलतरा	0.00	25	28	32	42

(राशि लाख रू. में)

क्र.	निकाय	कार्यनिष्पादन अनुदान (वर्षवार)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7
37	खरसिया	0.00	18	21	23	31
38	जशपुरनगर	0.00	25	28	31	41
39	सूरजपुर	0.00	20	22	25	33
40	बलरामपुर	0.00	5	6	6	8
41	मनेन्द्रगढ़	0.00	36	40	46	60
42	बैकुण्ठपुर	0.00	34	38	44	57
43	शिवपुरचरचा	0.00	23	26	30	39
44	सारंगढ़	0.00	14	16	18	24
	योग	**0.00**	**1233**	**1395**	**1584**	**2074**
III.	**नगर पंचायत**					
1	अभनपुर	0.00	17	19	22	29
2	खरोरा	0.00	11	12	14	19
3	माना कैम्प	0.00	12	14	16	20
4	कुंरा	0.00	10	11	13	17
5	बिलाईगढ़	0.00	6	6	7	10
6	कसडोल	0.00	16	18	20	27
7	पलारी	0.00	8	9	10	14
8	सिमगा	0.00	18	20	23	30
9	टुण्डरा	0.00	10	12	13	18
10	लवन	0.00	9	10	11	15
11	भटगांव	0.00	13	15	17	22
12	राजिम	0.00	15	17	19	26
13	फिंगेश्वर	0.00	12	14	16	20
14	छुरा	0.00	7	8	9	11
15	कुरूद	0.00	15	17	19	25
16	मगरलोड	0.00	8	9	10	14
17	नगरी	0.00	13	14	16	22
18	भखारा	0.00	9	10	11	15
19	आमदी	0.00	9	10	11	15
20	पिथौरा	0.00	9	10	11	15
21	बसना	0.00	11	13	14	19
22	तुमगांव	0.00	9	10	11	14
23	धमधा	0.00	13	15	17	22
24	पाटन	0.00	11	13	15	19
25	उतई	0.00	8	10	11	14
26	नवागढ़	0.00	13	15	17	22
27	बेरला	0.00	7	8	9	12

(राशि लाख रू. में)

क्र.	निकाय	कार्यनिष्पादन अनुदान (वर्षवार)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7
28	साजा	0.00	7	8	10	13
29	खम्हरिया	0.00	8	9	11	14
30	देवकर	0.00	8	9	10	13
31	मारो	0.00	7	8	9	12
32	परपोड़ी	0.00	6	7	7	10
33	डौंडी	0.00	10	12	13	17
34	डौंडीलोहारा	0.00	7	8	9	11
35	चिखलाकसा	0.00	7	8	10	13
36	गुरूर	0.00	4	5	6	7
37	गुण्डरदेही	0.00	10	11	13	17
38	अर्जुन्दा	0.00	6	7	7	10
39	गण्डई	0.00	16	18	20	26
40	छुईखदान	0.00	8	9	10	13
41	अम्बागढ़चौकी	0.00	12	13	15	19
42	डोंगरगांव	0.00	16	18	21	27
43	छुरिया	0.00	5	6	7	9
44	पंडरिया	0.00	17	19	22	28
45	बोड़ला	0.00	7	8	9	12
46	पाण्डातराई	0.00	7	8	9	12
47	सहसपुर–लोहारा	0.00	8	10	11	14
48	पिपरिया	0.00	5	6	7	9
49	बस्तर	0.00	17	19	21	28
50	केसकाल	0.00	12	13	15	20
51	फरसगांव	0.00	7	8	9	12
52	भानुप्रतापपुर	0.00	8	9	10	13
53	चारामा	0.00	10	11	12	16
54	पखांजूर	0.00	11	13	15	19
55	अंतागढ़	0.00	7	8	9	12
56	नरहरपुर	0.00	8	9	10	13
57	गीदम	0.00	9	10	12	15
58	बारसूर	0.00	12	13	15	20
59	दोरनापाल	0.00	8	9	11	14
60	कोण्टा	0.00	7	8	9	12
61	भैरमगढ़	0.00	16	18	20	26
62	भोपालपट्नम	0.00	7	8	9	11
63	कोटा	0.00	17	19	22	29
64	बोदरी	0.00	20	23	26	34

(राशि लाख रू. में)

क्र.	निकाय	कार्यनिष्पादन अनुदान (वर्षवार)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7
65	बिल्हा	0.00	12	13	15	19
66	गौरेला	0.00	22	25	29	38
67	पेण्ड्रा	0.00	15	17	19	25
68	मल्हार	0.00	11	12	14	18
69	सिरगिट्टी	0.00	18	20	23	30
70	सकरी	0.00	12	14	16	21
71	लोरमी	0.00	16	18	20	27
72	पथरिया	0.00	9	10	12	16
73	सरगांव	0.00	9	11	12	16
74	पाली	0.00	6	7	8	10
75	छुरीकला	0.00	9	11	12	16
76	नयाबाराद्वार	0.00	9	10	12	15
77	बलौदा	0.00	15	17	20	26
78	खरौद	0.00	13	14	16	21
79	शिवरीनारायण	0.00	11	12	14	18
80	अड़भार	0.00	9	10	11	15
81	जैजेपुर	0.00	10	12	13	17
82	डभरा	0.00	9	10	12	15
83	चन्द्रपुर	0.00	8	9	11	14
84	सारागांव	0.00	10	11	12	16
85	नवागढ़	0.00	8	9	11	14
86	राहौद	0.00	8	9	10	13
87	धर्मजयगढ़	0.00	25	28	32	41
88	घरघोड़ा	0.00	11	13	14	19
89	लैलुंगा	0.00	8	9	10	14
90	सरिया	0.00	8	9	11	14
91	बरमकेला	0.00	7	8	9	11
92	किरोड़ीमलनगर	0.00	12	14	16	21
93	पुसौर	0.00	8	9	10	13
94	पत्थलगांव	0.00	18	21	24	31
95	कोतबा	0.00	10	11	13	16
96	बगीचा	0.00	15	17	19	25
97	कुनकुरी	0.00	16	18	21	27
98	सीतापुर	0.00	11	12	14	18
99	लखनपुर	0.00	10	11	12	16
100	प्रतापपुर	0.00	7	8	9	12
101	विश्रामपुर	0.00	12	13	15	20

(राशि लाख रू. में)

क्र.	निकाय	कार्यनिष्पादन अनुदान (वर्षवार)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7
102	भटगांव	0.00	13	15	17	23
103	जरही	0.00	8	9	10	13
104	प्रेमनगर	0.00	7	8	9	12
105	रामानुजगंज	0.00	13	14	16	22
106	वाड्रफनगर	0.00	7	8	9	12
107	राजपुर	0.00	6	6	7	9
108	कुसमी	0.00	9	10	11	15
109	झगराखण्ड	0.00	10	11	13	16
110	खोंगापानी	0.00	16	19	21	27
111	नई लेदरी	0.00	5	6	6	8
योग		**0.00**	**1177**	**1332**	**1513**	**1981**
महायोग		**0.00**	**6228**	**7047**	**8003**	**10480**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.